

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत अंचल-मनेर के सोन नदी पर पटना सोन बालू कलस्टर-1A (घाट संख्या-1, 2, 3 एवं 4) से बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आयोजित लोक सुनवाई का वृत्।

दिनांक 24.09.2020 को आनंदपुर प्राथमिक विद्यालय, आनंदपुर, जिला-पटना में राज्य स्तरीय समाधात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा श्री वीजेन्द्र कुमार सिंह, श्री भीम प्रसाद, श्री रंजीत कुमार राय एवं श्री वीजेन्द्र कुमार को निर्गत टी0ओ0आर0 पत्र संख्या-SIA/1(a)/1005/2020, 1008/2020, 1025/2020 दिनांक 22.07.2020 एवं पत्र संख्या-SIA/1(a)/ 1006/2020, दिनांक 21.07.2020 के आलोक में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। श्री विनायक मिश्र, अपर जिला दण्डाधिकारी (सा०), पटना (जिलाधिकारी पटना द्वारा मनोनीत) के द्वारा इस लोक-सुनवाई की अध्यक्षता की गयी।

### उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

उक्त लोक सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा द टाइम्स ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर एवं दैनिक जागरण के माध्यम से दिनांक: 22.08.2020 द्वारा प्रकाशित की गयी थी। लोक सुनवाई के दौरान बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद पटना के पदाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थिति लोगों एवं सभी सम्बन्धित सम्बन्धित पदाधिकारी का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण समाधात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के तहत इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व लोक सुनवाई कराने की आवश्यकता के बारे में बताया गया। साथ ही बताया गया कि इस बालू खनन योजना से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में लोगों के सुझाव या आपत्ति प्राप्त किया जायेगा।

परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बालू खनन योजना की उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, इन्वायरमेंटल मैनेंजमेंट प्लान एवं कॉरपोरेट इन्वायरमेंटल रेस्टपॉन्सिबिलिटी (सी.ई.आर.) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित नहीं किया जाएगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर गहराई तक या भूजल स्तर से उपर तक किया जायेगा। धूल को उड़ने से बचाने के उपाय किये जायेंगे। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जायेगा। सलाहकार द्वारा बताया गया कि गीली बालू का परिवहन नहीं होगा, बालू का परिवहन तिरपाल से ढक कर किया जायेगा ताकि बालू को उड़ने या गिरने से रोका जा सके। वाहनों की ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हॉर्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पी.यू.सी. प्राप्त वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब हो चुके ट्रकों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। नदी के किनारों और सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। बालू खनन योजना में सुरक्षा एवं अन्य नियमों का पालन किया जायेगा। बरसात के मौसम में खनन कार्य बंद रहेगा। साथ ही बताया गया कि सी.ई.आर. के तहत परियोजना

लागत का 2 प्रतिशत स्थानीय सुविधा एवं विकास के कार्यों में खर्च किया जायेगा। इसके उपरांत लोक-सुनवाई में उपस्थित लोगों से इस परियोजना के आलोक में पर्यावरण से संबंधित संभावित प्रभावों के नियंत्रण एवं निवारण हेतु सुझाव/आपत्ति आमंत्रित किये गये, जो निम्नवत् हैः—

1. श्री बीजेन्द्र कुमार, आनंदपुर द्वारा बालू उत्खन्न एवं परिवहन से सड़कों के किनारे धूलकणों की समस्या के निराकरण करने का सुझाव दिया गया।
2. श्री वीरेन्द्र कुमार, आनंदपुर द्वारा सड़कों के किनारे एवं सार्वजनिक स्थल पर फलदार वृक्ष के लगाने एवं कामगारों के लिए शौचालय की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया।
3. श्री गुड्डु कुमार, आनंदपुर द्वारा सी.ई.आर. के तहत् सूर्यमठ में समुदायिक सुविधा की व्यवस्था करने एवं परिसर में फलदार वृक्ष लगाने का सुझाव दिया गया।
4. श्री राम कुन्दन कुमार, आनंदपुर ने शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का सुझाव दिया।
5. श्री राकेश कुमार, सुअरमरवा द्वारा सड़कों के गढ़ों की मरम्मति करने का सुझाव दिया जिससे स्थानीय लोगों के आवागमन में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

लोक-सुनवाई के समापन से पूर्व अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित लोगों के द्वारा सक्रिय भाग लेने के लिए धन्यवाद देते हुए बताया गया कि बालू खनन परियोजना से संभावित कुप्रभावों के नियंत्रण हेतु लीजधारक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरणीय प्रबंध योजना के तहत् बताये गये सभी कार्य करेंगे। लोगों को अवगत कराया गया कि वर्तमान में कोवीड-19 प्रभाव से बचने के लिए योजना में जुड़े सभी लोगों को सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग एवं मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा जो प्रस्तावक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही बताया गया कि सी.ई.आर. के तहत् होने वाले व्यय को स्थानीय लोगों के अनुसार करना चाहिए। इस खर्च का अनुश्रवण भी होना चाहिए, ताकि इसका सदउपयोग हो।

लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों को इस प्रस्तावित खनन योजना की स्वीकृति की अनुशंसा करने के लिए धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोक सुनवाई कार्यवाही की समाप्ति की घोषणा की गयी।



(मनोरंजन कुमार सिंह)  
सहा० वैज्ञानिक पदा०  
बि०रा०प्र०नि०पर्षद



(एस.पी.राय)  
पर्यावरण अभियंता  
बि०रा०प्र०नि०पर्षद



(किशोर के मिश्र )  
अपर जिला दण्डाधिकारी,  
पटना

### उपस्थिति सूची

श्री वीजेन्द्र कुमार, श्री भीम प्रसाद, श्री रंजीत कुमार राय द्वारा पटना जिला, अंचल- मनेर के सोन नदी पर (पटना सोन कलस्टर-1A) सोन घाट- 1, सोन घाट- 2, सोन घाट- 3, एवं सोन घाट- 4 से बालू खनन करने हेतु प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 24.09.2020 (गुरुवार) को 10:30 बजे पूर्वाह्न में आनंदपुर प्राथमिक विद्यालय, आनंदपुर, जिला-पटना में आयोजित लोक-सुनवाई में उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	निवानन्द मिश्र	अपर जिला निवासियों की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 24.09.2020	24.09.2020
2.	एस-वी-राय	पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 24.09.2020	24.09.2020
3.	मनोजनन्द पाण्डी	बैहर रम्भ बृहुष्ठि निवेशन ५४६८	24.09.2020
4.	ठुङ्गा कुमार		Mu
5.	मोहन शरियाद आमदार		Moreshwar
6.	रणधीर कुमार	आनंदपुर	रणधीर
7.	किकाई कुमार		Kikai Kumar
8.	Amit Kumar	Anandpur	Amit
9.	उपेन्द्र कुमार	आनंदपुर	Upendra Kumar
10.	अजीत कुमार	आनंदपुर	Ajeet Kumar
11.	मुकेश	आनंदपुर	Mukesh
12.	कामेश वर्मा		Kameshvarma
13.	सुकामय	आनंदपुर	Sukamay
14.	असिल कुमार	आनंदपुर	Asil Kumar
15.	आजीत कुमार	आनंदपुर	Ajeet Kumar
16.	विशेष राय	आनंदपुर	Vishesh Ray
17.	गुड्डु राय	आनंदपुर	Guddu Ray
18.	Rahil Kumar	Anandpur	Rahil Kumar

19.	लवकुश कुमार	आनंदपुर	लवकुश कुमार
20.	राधामोहन राय a	आनंदपुर	राधामोहन राय a
21.	शुभेश्वर कुमार	आनंदपुर	शुभेश्वर कुमार
22.	श्रीष्टिकाशराज	आनंदपुर	श्रीष्टिकाशराज
23.	राजमोहन राय a	आनंदपुर	राजमोहन राय
24.	जगदीश्वर राम	आनंदपुर	जगदीश्वर राम
25.	कृष्णकार राम	आनंदपुर	कृष्णकार राम
26.	पृथु कुमार	आनंदपुर	पृथु कुमार
27.	मिशनरी कुमार	आनंदपुर	मिशनरी कुमार
28.	सुधा राम	आनंदपुर	सुधा राम
29.	अमर कुमार	आनंदपुर	अमर कुमार
30.	अर्जीत कुमार	आनंदपुर	अर्जीत कुमार
31.	आवेंगा कुमार	आनंदपुर	आवेंगा कुमार
32.	दिल्ली कुमार	आनंदपुर	दिल्ली कुमार
33.	रघीत राम	आनंदपुर	रघीत राम
34.	लालामीक राम	आनंदपुर	लालामीक राम
35.	बबन राम	आनंदपुर	बबन राम
36.	दुर्दल राम	आनंदपुर	दुर्दल राम
37.	आरेपलेट्रु कुमार	आनंदपुर	आरेपलेट्रु कुमार
38.	कमलाप राम	आनंदपुर	कमलाप राम
39.	कैलाश राम	आनंदपुर	कैलाश राम
40.	सुनील कुमार	आनंदपुर	सुनील कुमार
41.	मीठव साद कुमार	आनंदपुर	मीठव कुमार
42.	मुवार कुमार	आनंदपुर	मुवार कुमार

43.	जगांडिंगा भाई	आवन्दिकू	जगांडिंगा भाई
44.	मुना साव	आवन्दिकू	मुना साव
45.	दीजनावप साव	आवन्दिकू	दीजनावप साव
46.	राहुल कुमार	आवन्दिकूर	राहुल कुमार
47.	विषेष कुमार	आवन्दिकू	विषेष कुमार
48.	श्रीविजयल राम	आवन्दिकू	श्रीविजयल राम
49.	रामदेवल कुमार	आवन्दिकू	रामदेवल कुमार
50.	मुनारीक भाई	आवन्दिकूर	मुनारीक भाई
51.	भृष्णु भाई	आवन्दिकूर	भृष्णु भाई
52.	जगांडिंगा भाई	आवन्दिकूर	जगांडिंगा भाई
53.			
54.	रितिविजय कुमार	Amitvijay	Amit
55.	मुकेश कुमार	आवन्दिकू	मुकेश कुमार
56.	राजेश भाई	आवन्दिकूर	राजेश भाई
57.	विवेक भाई	विवेक भाई	विवेक भाई
58.	विकी कुमार	आवन्दिकू	विकी कुमार
59.	शेषाल कुमार	आवन्दिकू	शेषाल कुमार
60.	विनोद कुमार	विनोद आवन्दिकू	विनोद कुमार
61.	विकाश कुमार	आवन्दिकू	विकाश कुमार
62.	मुहम्मद राफी	मुहम्मद राफी	मुहम्मद राफी
63.	बुटेपा राम	बीरसी	बुटेपा राम
64.	विवेक राम	विवेक राम	विवेक राम
65.	पंडिती राम	पंडिती राम	पंडिती राम
66.	अंकित कुमार	अंकित	अंकित कुमार

67.	कुमा कुल	परिकर	मुना कुल
68.	सुरज कुमार	परिकर	सुरज कुमार
69.	अनील कुमार	कुमरा	अनील कुमार
70.	आरविंद्रो गांधी	घाराघरवा	आरविंद्रो गांधी
71.	रातोष कुमार	परिकरी	रातोष कुमार
72.	विनोद साह	परिकरी	विनोद साह
73.	भीम साह	परिकरी	भीम साह
74.			
75.			
76.			
77.			
78.			
79.			
80.			
81.			
82.			
83.			
84.			
85.			
86.			
87.			
88.			
89.			
90.			